संख्या-134 /2016/727/22-4-16-48(13)/10

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 26 अगस्त, 2016

विषय- जिला कारागार, बदायूँ को शहर की घनी आबादी के बाहर स्थानान्तरित किये जाने लिए नवीन कारागार के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-15085/नम-2, दिनांक- 18 मई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बदायूँ को शहर की घनी आबादी से बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु नवीन कारागार के निर्माण के लिए ग्राम-लौडा बहेड़ी, परगना-उझानी, तहसील व जिला- बदायूँ के काश्तकारों की 31.875 हे0 भूमि जिसकी लागत रू0 52,98,20,263/- है, की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में अवमुक्त की गयी कुल धनराशि रू0 3,12,22,060/- को घटाते हुए शेष धनराशि रू0 49,85,98,203/-(रूपया उन्चास करोड़ पचासी लाख अट्ठानवे हजार दो सौ तीन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशो में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1019/दस-2016, दिनांक 22 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-134/2016/727(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, बदायूँ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in